न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थना पत्र संख्याः 10/2022
दायर दिनांकः 15.11.2022
निर्णय दिनांक 10.12.2024

—:अनवानः—

श्री मूलचन्द पिता फोजमल जी जाति बापना (महाजन) उम्र 66 वर्ष निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद **— प्रार्थी**

बनाम

1. श्री लादु लाल पिता नेनु जी जाति प्रजापत उम्र 40 वर्ष निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद
2. श्रीमती गीता देवी पत्नी लादुलाल जाति प्रजापत उम्र 38 वर्ष निवासी जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद

— विपक्षीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 1970

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश देवपुरा, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित
2— श्री डालचन्द जाट, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 02 अनुपस्थित
3— श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 03 उपस्थित

:: निर्णय ::

प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भू—आंवटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को ग्राम जिलोला पटवार हल्का जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नम्बर 548 रकबा 2.2000 हैक्टर किस्म बझड में से 1.0000

हैक्टर किस्म बारानी तृतीय कुल किता 01 कुल रकबा 1.0000 हैक्टर भूमि को दिनांक 16.05.2016 कैम्प जिलोला तहसील आमेट में अवैध एवं विधि विरुद्ध तरीके से आवंटित की गई। उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 सद्भावी क़ाश्तकार नहीं होने से आवंटन हेतु कोई पात्रता नहीं रखते है। विपक्षी संख्या 1 लादुलाल एवं विपक्षी संख्या 2 गीता देवी दोनो पति–पत्नी होकर एक ही राशन कार्ड बना हुआ है व विपक्षी संख्या 1 लादुलाल भूमिधारी होकर ग्राम जिलोला पटवार हल्का जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या नया 90 व पुराना 113 में वर्णित कुल किता 05 कुल रकबा 0.6000 हैक्टर भूमि में विपक्षी संख्या 1 लादुलाल का 2/135 वां हिस्से का खातेदार है। इसी प्रकार ग्राम जिलोला पटवार हल्का जिलोला के खाता संख्या नया 465 व पुराना 448 से वर्णित कुल कित्ता 09 कुल स्कबा 1.2500 हैक्टर भूमि में विपक्षी संख्या लादुलाल का 1/108 वां हिस्सा है। इसी प्रकार ग्राम जिलोला पटबार हल्का जिलोला के खाता संख्या नया 143 व पुराना 13 में वर्णित कुल किता 09 कुल रकबा 2.2300 हैक्टर भूमि में विपक्षी संख्या 1 लादुलाल का 1/45 वां हिस्सा है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 एवं 2 भूमिहीन व्यक्ति नहीं होते हुए भी आवंटन अधिकारी ने बिना कोई जांच किये हुए. भूमिहीन व्यक्ति मानते हुए विधि विरूद्ध तरीके से आवंटित कर दी गई। जबकि पति–पत्नी के नाम इस प्रकार से आवंटन नहीं किया जा सकता। पटवारी हल्का एवं आवंटन अधिकारी ने नियमों के विपरीत जाकर विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को अनुचित फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से आवंटन किया है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 का उक्त आवंटन भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा, न ही कब्जा आज है। वादग्रस्त भूमि जो विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को आवंटित की गई है, उस पर एक बीघा भूमि पर कब्जा प्रार्थी का होकर प्रार्थी पीढ़ियों से खा–कमा रहे है। वादग्रस्त भूमि के चारो ओर प्रार्थी ने हजारो रूपये व्यय कर थोर की बाड़ बना रखी है व प्रार्थी ही खा–कमा रहे है। आवंटित शुदा भूमि पर उक्त आवंटन से पूर्व ही प्रार्थी का काफी वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। लेकिन उक्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने कपट पूर्वक राजस्व अधिकारियों से मिलकर अपने नाम आवंटन करवा लिया। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने षडयंत्र एवं कपटपूर्वक तरीके से प्रार्थी के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग की भूमि का आवंटन राज्य सरकार व प्रार्थी को धोखा देकर करवा लिया, जिससे भी उक्त आवंटन नियमों के प्रतिकूल होकर काबिल खारिज है। प्रार्थी का कब्जा होने से प्रार्थी को वर्ष 2013 में ग्राम जिलोला के आराजी नम्बर 548 रकबा 0.2000 हैक्टर कब्जेशुदा भूमि बाबत जो कि वादग्रस्त आवंटन भूमि में सम्मिलित है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अधीन न्यायालय तहसीलदार आमेट द्वारा नोटिस दिया गया, जो उक्त धारा 91 का नोटिस वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 एवं 2021 तक दिया गया। यही नही आराजी नम्बर 548 रकबा 0.2000 हैक्टर की किस्म बंजड़ रिकार्ड मे होते हुए भी जानबुझ कर राजस्व अधिकारियों ने इसकी किस्म बारानी तृतीय बता दी। साथ ही ग्राम जिलोला के आराजी नम्बर 548 रकबा 0.2000 हैक्टर पर प्रार्थी का कब्जा है, जिसका स्पष्ट उल्लेख पी–14 में भी किया हुआ है। मौके पर प्रार्थी का कब्जा 0.2000 हैक्टर भूमि पर होते हुए भी प्रार्थी के कब्जेशुदा भूमि को जानबुझ कर राजस्व अधिकारियों ने विपक्षी संख्या 1 एवं 2

से सांठगांठ कर आवंटित कर दी है, जबकि प्रार्थी भी आवंटन के लिए पात्र व्यक्ति था। यही नहीं प्रार्थी विकलांग है और विकलांग होने से प्रार्थी की वरियता भी बनती है। लेकिन राजस्व अधिकारियों ने बाला–बाला विपक्षी संख्या व 2 से मिलीभगत कर भूमि आवंटित कर दी, जो आवंटन ही निरस्त योग्य है। उक्त आवंटित भूमि का आवंटन विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को कानुन की समस्त परिसीमाओं को लांग कर, कर दिया। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने दिनांक 16.05.2018 को ही सब डिवीजनल ऑफिसर आमेट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व दिनांक 16.05.2018 को ही सारी की सारी कार्यवाही करते हुए जल्दबाजी में विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना विपक्षीगण को अनुग्रहित करने के दुराशय से आवंटित कर दी, अगर उक्त भूमि पूर्व में उद्द्घोषित होती तो प्रार्थी वक्त आवंटन आपत्ति कर देते व अपने नाम पर आवंटित भूमि के आवंटन / नियमन हेतु आवेदन कर देते। पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट की है. जिससे स्पष्ट है कि उक्त आवंटन अवैध एवं विधि विरुद्ध तरीके से किया गया है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आते है। विपक्षी संख्या 2 के नाम पर्याप्त भूमि है एवं विपक्षी संख्या एवं 2 पति–पत्नी होकर एक ही मकान में निवास कर रहे है, लेकिन विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने तथ्यों को छिपाते हुए व्यपदेशन कर आवंटन कराया है. जो निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि होकर मौके पर प्रार्थी काबिज है। विपक्षी संख्या 1 एंव 2 का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, जिसकी रिपोर्ट आज भी मंगवाई जा सकती है। प्रार्थी का कब्जा होकर प्रार्थी ही उक्त भूमि को आवंटन/नियमन में प्राप्त करने के अधिकारी है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को उक्त आराजी का कानुनन आवंटन नहीं किया जा सकता है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 आवंटन के लिए पात्रताधारी ही नहीं है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को भूमि आवंटन से पूर्व आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की गई है तथा जल्दबाजी में आवंटन किया गया एवं विपक्षी संख्या 3 ने भी आवंटन नियमों की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित आधारों पर विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने गलत तौर तरीके अपनाकर छल, पांखड कर तथ्यों को छिपाकर, कपटपूर्वक धोखे में रखकर आंवटन कराया है तथा आवंटन नियमों की पालना नहीं की है. जिससे उक्त आवंटन अवैध एवं विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र समयावधि में पेश है। उक्त गलत आवंटन की जानकारी प्रार्थीया को दिनांक 30.08.2022 को हुई, जब विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और कहा कि यह जमीन सरकार ने हमे दे दी, तो प्रार्थी पटवारी हल्का के पास गये, तो पटवारी हल्का ने कोई सन्तोषप्रद जवाब नहीं दिया, न ही आवंटन के बारे में बताया। उल्टा यह कहा गया कि आपके कब्जे वाली जमीन हमने विपक्षी संख्या 1 व 2 को आवंटित नहीं की गई है। उसने बताया कि यह वादग्रस्त जमीन विपक्षी संख्या 1 एंव 2 के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी है, जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 14.10.2022 को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आमेट के यहां से आवंटन आदेश की नकल प्राप्त की, जो जानकारी होते ही नकल ली जाकर जानकारी से यह प्रार्थना–पत्र अन्दर मयाद पेश है। एतिहातन धारा 5 गयाद अवधि को कण्डोन करने का प्रार्थना–पत्र अलग से पेश है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार

फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 एंव 2 के पक्ष में दिनांक 16.05.2016 को ग्राम जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद आराजी नम्बर 548 रकबा 1.0000 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय कुल किता 01 कुल रकबा 1.0000 हेक्टर भूमि आंवटित किये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधिनस्थ कार्यालय का रिकार्ड तलब किया गया। विपक्षीगण 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री डालचन्द जाट ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। व विपक्षी संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा ने उपस्थिति दी।

अधिवक्ता प्रार्थी की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

विपक्षी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण को ग्राम जिलोला पटवार हल्का जिलोला तहसील आमेट की आराजी संख्या 548 रकबा 2.2000 हैक्टेयर किस्म बंझड में से 1.0000 हैक्टेयर भूमि आंवटित होना स्वीकार है विपक्षीगण पति पत्नि है एवं उनको उक्त आवंटन अधिसूचना संख्या एफ 5 () राज./14/89/रेवे. 6/29 दिनांक 14.08. 2000 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 की आवंटन शर्त संख्या 1 (1) क) की पालना में आवंटन किया गया है। जहाँ ऐसे मामले में भूमि का आवंटन किसी विवाहित कृषक को किया जाय तो आवंटन पति एवं पत्नि के संयुक्त नाम से किया जायेगा तथा आवंटी ऐसे मामले में संयुक्त आवंटी के रूप में समझे जायेगें इस प्रकार विपक्षीगण को नियमानुसार एवं वैद्य रूप से उक्त आवंटन हुआ है। विपक्षीगण को जो उक्त खसरा संख्या 548 रकबा 2.2000 हैक्टेयर में से 1.0000 हैक्टेयर भूमि आवंटित हुई है उस पर विपक्षीगण के अलावा किसी भी अन्य का कब्जा नहीं है। खसरा संख्या 548 में से विपक्षीगण को आवंटन होने के पश्चात् भी 1.2000 हैक्टेयर भूमि शेष बचती है। उक्त शेष भूमि में प्रार्थी का कब्जा हो तो इसकी जानकारी विपक्षीगण को नहीं है। विपक्षीगण का आवंटित भूमि पर कब्जा होकर विपक्षीगण भूमि आवंटन से ही काश्त कर रहे है। विपक्षीगण ने आवंटित भूमि के चारो और पत्थरो की छह फीट उँची दिवार बना कर लोहे की फाटक लगा रखी है। विपक्षीगण ने अपनी आवंटित शुदा भूमि को समतल व सुधार करके उसे उपजाऊ बना कर खेती कर अपना जीविकोपार्जन कर रहे है। विपक्षी संख्या 01 व 02 ने जवाब में विशेष कथन कर निवेदन किया कि विपक्षीगंण को उपरोक्त वर्णित भूमि नियमों एवं कानून के तहत ही आवंटित हुई है। आवंटन के पश्चात् आवंटन की सभी शर्तों का पूर्ण रूप से विपक्षीगण द्वारा पालन किया गया है जिस पर विपक्षीगण को उक्त आवंटन भूमि का गैर खातेदारी से खातेदार घोषित किया जाकर आवंटित भूमि का नया खसर संख्या 3258/548 रकबा 1.000 हैक्टेयर बना जो

न्यायालय जिला कलक्टर

जरिये नामान्तरकरण संख्या 1380 दिनांक 26.09.2019 को हुआ। विपक्षीगण ने आवंटन नियमो की सभी शर्तों का पालन पूर्ण रूप से किया है। आवंटन आदेश में किसी प्रकार की अवैधता नहीं है। विपक्षीगण गरीब व ग्रामीण काश्तकार है। उनके पास अपने परिवार के गुजारे के लिए आवंटित भूमि के अलावा और कोई आय का जरिया नहीं है। विपक्षीगण पिछले लम्बे समय से उक्त आवंटित भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थी जिलोला गाँव का सम्पन्न परिवार से होकर साहूकार है। प्रार्थी विपक्षीगण को उक्त झूठे प्रार्थना पत्र के जरिये दबाव में लेकर उक्त भूमि हड़पना चाहता है। प्रार्थी प्रभावशाली होने का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। प्रार्थी को इतने लम्बे समय बाद उक्त आवंटन को निरस्त करवाने का कोई हक अधिकार नहीं है जबकि उक्त आवंटन की सभी शतों का पालन विपक्षीगण द्वारा ईमानदारी से किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करे।

विपक्षी संख्या 3 तहसीलदार आमेट ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम जिलोला के आ0 नं0 548 में 1.0000 हैक्टर भूमि दिनांक 16.05.16 को केम्प जिलोला में कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के नियमों के अन्तर्गत नियामानुसार आवंटित की गई थी। आवंटन दिनांक को आंवटी के नाम कोई भूमि दर्ज रेकॉर्ड नहीं थी। ग्राम जिलोला के खाता संख्या 90,465,143 में आवटी के नाम नामा0 सं0 1426 गोदनामा से आवंटी के नाम पर दिनांक 05.09.2020 को दर्ज हुई थी। अतः आवंटी भूमि हीन कृषक की श्रेणी में आता है। विपक्षीगण का वक्त आवंटन से लगातार आंवटित भूमि पर कब्जा हो भूमि सुधार के तहत आवंटी द्वारा भूमि को समतल कर खेत बना रखे है. चारो तरफ पत्थर की दिवार बना रखी है तथा एक ट्युब वेल भी खोद रखी है। भूमि आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी महोदय आमेट द्वारा दिनांक 29.04.2016 को नियमानुसार उदघोषणा जारी कर कृषि भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णयनुसार भूमि आवंटन की गई थी। कृषि भुमि आंवटन के नियमों में भूमि पति पत्नि दोनो के नाम सयुक्त रूप से आवंटन करने का प्रवाधान है उसी अनुरूप पति पत्नि के नाम से भूमि आंवटन की गई है। कृषि भूमि आंवटन के नियमों के अन्तर्गत विपक्षी भूमिहीन की श्रेणी में आता है। वक्त भूमि आवंटन के वक्त आवंटी के नाम कोई भूमि दर्ज नही थी। कोई तथ्य नहीं छुपाया गया हैं मौके पर प्रार्थी का काई कब्जा नही है, आवंटी का कब्जा होकर आवंटी द्वारा कास्त की जा रही है। मौका पर्चा सलग्न है। आवंटन से पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए नियमानुसार आवंटन किया गया है। आवंटन प्रा.पत्र की पूर्व जांच कराने के उपरान्त आवंटन किया गया।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण 1 व 2 के अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

न्यायालय जिला कलक्टर (राज.)

दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को ग्राम जिलोला पटवार हल्का जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नम्बर 548 रकबा 2.2000 हैक्टर किस्म बझड में से 1.0000 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय कुल किता 01 कुल रकबा 1.0000 हैक्टर भूमि को दिनांक 16.05.2016 कैम्प जिलोला तहसील आमेट में अवैध एवं विधि विरुद्ध तरीके से आवंटित की गई। उक्त आवंटन निरस्त होने योग्य है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 सद्भावी काश्तकार नहीं होने से आवंटन हेतु कोई पात्रता नहीं रखते है। विपक्षी संख्या 1 लादुलाल एवं विपक्षी संख्या 2 गीता देवी दोनो पति–पत्नी होकर एक ही राशन कार्ड बना हुआ है व विपक्षी संख्या 1 लादुलाल भूमिधारी होकर ग्राम जिलोला पटवार हल्का जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या 90,143,465 में विपक्षी संख्या 1 लादुलाल के नाम कृषि भूमि दर्ज है। अतः आवंटी भूमि हीन कृषक की श्रेणी में आता है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 का उक्त आवंटन भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा, न ही कब्जा आज है। वादग्रस्त भूमि जो विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को आवंटित की गई है, उस पर एक बीघा भूमि पर कब्जा प्रार्थी का होकर प्रार्थी पीढ़ियों से खा–कमा रहे है। प्रार्थी का कब्जा होने से प्रार्थी को वर्ष 2013 में ग्राम जिलोला के आराजी नम्बर 548 रकबा 0.2000 हैक्टर कब्जेशुदा भूमि बाबत जो कि वादग्रस्त आवंटन भूमि में सम्मिलित है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अधीन न्यायालय तहसीलदार आमेट द्वारा नोटिस दिया गया, जो उक्त धारा 91 का नोटिस वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 एवं 2021 तक दिया गया। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 आवंटन के लिए पात्रताधारी ही नहीं है। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को भूमि आवंटन से पूर्व आवंटन नियमों की कोई पालना नहीं की गई है तथा जल्दबाजी में आवंटन किया गया एवं विपक्षी संख्या 3 ने भी आवंटन नियमों की पालना नहीं की है एवं आवंटी को आवंटित भूमि की कब्जा सुपुर्दगी भी नहीं की गयी ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित आधारों पर विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 एंव 2 के पक्ष में दिनांक 16.05.2016 को ग्राम जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद आराजी नम्बर 548 रकबा 1.0000 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय कुल किता 01 कुल रकबा 1.0000 हेक्टर भूमि आंवटित किये जाने की सम्पूर्ण कार्यवाही को अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि विपक्षी सं. 1 व 2 को ग्राम जिलोला के आ0 नं0 548 में 1.0000 हैक्टर भूमि दिनांक 16.05.16 को केम्प जिलोला में कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के नियमों के अन्तर्गत नियामानुसार आवंटित की गई थी। ग्राम जिलोला के खाता संख्या 90,465,143 में नामा0 सं0 1426 गोदनामा से आवंटी सं.1 के नाम पर भूमि दिनांक 05.09.2020 को दर्ज हुई थी। आवंटन दिनांक को आंवटी सं.1 के नाम कोई भूमि दर्ज रेकॉर्ड नहीं थी। अतः आवंटी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता है एवं आवंटन प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए नियमानुसार आवंटन किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय जिला कलक्टर

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस को सुनकर गहन मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को ग्राम जिलोला पटवार हल्का जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नम्बर 548 रकबा 2.2000 हैक्टर किस्म बझड में से 1.0000 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय कुल किता 01 कुल रकबा 1.0000 हैक्टर भूमि को दिनांक 16.05.2016 कैम्प जिलोला तहसील आमेट में अवैध एवं विधि विरुद्ध तरीके से आवंटित की गई। विपक्षी संख्या 1 एवं 2 सद्भावी काश्तकार नहीं होने से आवंटन हेतु कोई पात्रता नहीं रखते है। विपक्षी संख्या 1 लादुलाल भूमिधारी होकर ग्राम जिलोला पटवार हल्का जिलोला तहसील आमेट जिला राजसमंद के खाता संख्या 90,143,465 में विपक्षी संख्या 1 लादुलाल के नाम कृषि भूमि दर्ज है। अतः आवंटी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता है। वादग्रस्त भूमि जो विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को आवंटित की गई है, उस पर एक बीघा भूमि पर कब्जा प्रार्थी का होकर प्रार्थी पीढ़ियों से खा–कमा रहे है। आवंटी को आवंटित भूमि की कब्जा सुपुर्दगी भी नहीं की गयी ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित आधारों पर विपक्षी संख्या 1 एवं 2 को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

तहसीलदार आमेट ने भी अपने जवाब में उल्लेख किया कि विपक्षी सं. 1 व 2 को ग्राम जिलोला के आ0 नं0 548 में 1.0000 हैक्टर भूमि दिनांक 16.05.2016 को केम्प जिलोला में कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 के नियमों के अन्तर्गत नियामानुसार आवंटित की गई थी। आवंटन दिनांक को आंवटी के नाम कोई भूमि दर्ज रेकॉर्ड नहीं थी। ग्राम जिलोला के खाता संख्या 90,465,143 में नामा0 सं0 1426 गोदनामा से आवंटी सं. 1 के नाम पर भूमि दिनांक 05.09.2020 को दर्ज हुई थी। अतः आवंटी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में आता है मौके पर प्रार्थी का काई कब्जा नही है विपक्षीगण का वक्त आवंटन से लगातार आंवटित भूमि पर कब्जा हो भूमि सुधार के तहत आवंटी द्वारा भूमि को समतल कर खेत बना रखे है. चारो तरफ पत्थर की दिवार बना रखी है तथा एक ट्युबवेल भी खोद रखी है। भूमि आवंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी महोदय आमेट द्वारा दिनांक 29.04.2016 को नियमानुसार उदघोषणा जारी कर कृषि भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णयनुसार भूमि आवंटन की गई थी एवं आवंटन प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए नियमानुसार आवंटन किया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय की आवंटन पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि विपक्षी सं. 1 व 2 को कृषि भूमि आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में लिये गये निर्णयनुसार आवंटन की गई एवं आवंटन प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए नियमानुसार आवंटन किया गया है। तहसीलदार आमेट के जवाब अनुसार ग्राम जिलोला के खाता संख्या 90,465,143 में नामा0 सं0 1426 गोदनामा से आवंटी सं. 1 के नाम पर भूमि दिनांक 05.09.2020 को दर्ज हुई थी। आवंटन दिनांक को आंवटी सं.1 के नाम कोई भूमि दर्ज रेकॉर्ड नहीं थी अर्थात आवंटन दिनांक को आवंटी भूमिहीन कृषक था पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड अनुसार आवंटीगण को खातेदारी अधिकार भी प्रदान किये जा चुके है एवं आवंटन प्रक्रिया का पूर्ण पालन करते हुए नियमानुसार आवंटन किया गया है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ कार्यालय उपखण्ड अधिकारी आमेट की मूल आवंटन पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटायी जावें।

10/12/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 10.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/12/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद